परिहार एवं परिहास सम्बन्ध के अर्थ को स्पष्ट करें। इस प्रकार के व्यवहारों की सार्वभौमिकता के कौन से कारण आप दे सकते हैं।

(Explain the terms avoidance and joking relationship. How do you account for the universality of these behaviours.)

उत्तर : नातेदारी के नियामक व्यवहार (kinship uses) का अर्थ स्वजनों के मध्य स्थापित अथवा निर्धारित सम्बन्धों से है। मजूमदार एवं मदन ने नातेदारी के नियामक व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "प्रत्येक नातेदारी के समूहों में चाहे वह विशेष परिवार हो, चाहे संयुक्त परिवार हो या गोत्र के समान उसका एक विस्तृत रूप हो, साथ-साथ पाये जाने वाले व्यवहार प्रतिमानों के कुछ रूप होते हैं जिसमें एक व्यवस्था होती है जिनकी संरचना बहुत कुछ स्थायी तथा निश्चित होती है। इस प्रकार के मौखिक या लिखित व्यवहारों को नातेदारी के नियामक व्यवहार कहते हैं।" इस तरह यह स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था में सम्बन्धियों का आपस में व्यवहार या सम्बन्ध किस प्रकार का होगा–इस विषय में कुछ नियम या रीतियाँ होती हैं जिसे नातेदारी के नियामक व्यवहार कहे जाते हैं।

नातेदारी के नियामक व्यवहारों के निम्नलिखित रूप देखे जाते हैं–

1. परिहार (Avoidance)
2. परिहास (Joking relationship)
3. माध्यमिक सम्बोधन (Teknonymy)
4. मातुलेय या मातृप्रधान व्यवहार (Avanculate)
5. पितृप्रधान व्यवहार (Amitate)
6. सह प्रसविता अवस्था (Couvade)

1. परिहार (Avoidance) : इस रीति में कुछ व्यक्ति आपस में इस प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध से जुड़े रहते हैं कि उन्हें कई परिस्थितियों में एक-दूसरे से परिहार करना पड़ता है। ये व्यक्ति निकट के सम्बन्धी होते हैं। वे एक ही लिंग के हो सकते हैं या विभिन्न लिंग के होते हैं। इस रीति के अनुसार कई सम्बन्धियों के नाम लेना या उनसे बातचीत करना वर्जित होता है। कभी-कभी तो ये सम्बन्धी एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं और न आमने-सामने आ सकते हैं।

परिहार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं–

(i) पुत्रवधू एवं सास-श्वसुर परिहार : इस तरह का परिहार प्रायः अधिकांश परिवारों में देखा जाता है। जनजातियों में भी इस तरह के व्यवहार बहुत अधिक देखे जाते हैं। बिहार की मुण्डा, खड़िया, संथाल एवं अन्य जनजातियों में परिहार सम्बन्ध देखा जाता है। पुत्र-वधू अपने श्वसुर के सामने घूँघट करती है, श्वसुर के सामने नहीं जाती है। योकाधीर जनजाति में पुत्रवधू अपने सास-ससुर तथा जेठ को देख भी नहीं सकती है। प्रो. लॉबी ने इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि कभी सास-ससुर सामने पड़ जाते हैं तो योकाधीर पुत्र-वधू अपना मुँह ढँक लेती है।

(ii) दामाद-सास परिहार : अनेक जनजातियों में दामाद-सास के बीच इस तरह के व्यवहार देखे गये हैं। पुरुष केवल सास का ही परिहार नहीं करता बल्कि उन समस्त स्त्रियों के साथ परिहार का व्यवहार करता है जो उसके सास के समतुल्य होती हैं। योकाधीर जनजाति में दामाद अपने सास-ससुर से बात नहीं कर सकता है। ओस्टयाक जनजाति में दामाद अपने सास के सामने तब तक नहीं जाता है जब तक कि वह पिता नहीं बन जाता है।

(iii) वधू-भैंसुर तथा जेठ-सास परिहार : संथाल जनजाति में भैंसुर अर्थात् पति का बड़ा भाई तथा जेठ-सास अर्थात् पत्नी की बड़ी बहन को देवता समझा जाता है, उससे

छुआने की बात तो दूर रही, उसकी परछाई तक से अलग रहा जाता है। उसकी चारपाई या बिछावन पर बैठा तक नहीं जाता है। यदि कभी भूल से छू जाये तो आरूप जांगा की रस्म पूरी करनी पड़ती है। मुण्डा जनजाति में भी भैंसुर तथा जेठ-ननद के बीच परिहार सम्बन्ध होता है। खड़िया जनजाति में पत्नी की बड़ी बहन तथा बड़े भाई के साथ परिहार माना जाता है। खड़िया जनजाति में स्त्री अपने पति के बड़े भाई-बहन से परिहार सम्बन्ध रखती है।

(iv) भाई-बहन परिहार : बहुत सी जनजातियों में भाई-बहन के बीच परिहार पाया जाता है। योकाधीर जनजाति में भाई अपने सगे तथा चचेरी बहनों के सामने देह नंगा नहीं कर सकता है तथा किसी प्रकार का असंयत बात भी नहीं कर सकता है। कुछ जनजातियों में तो लड़की के जवान होने पर उसे 'मामा' घर भेज दिया जाता है। कुछ जनजातियों में भाई-बहन किसी मध्यस्थ के द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं।

2. परिहास सम्बन्ध (Joking Relations) : दो सम्बन्धियों के बीच प्रायः परिहास सम्बन्ध भी देखा जाता है। इस सम्बन्ध के अन्तर्गत दो सम्बन्धियों में परस्पर हँसी-मजाक, गाली-गलौज, यौन सम्बन्धी अश्लील कथन आदि आता है। इसके निम्नलिखित मुख्य रूप हैं–

–जीजा-साली परिहास
–देवर-भाभी परिहास
–भानजा-मामी परिहास
–ननद-भाभी परिहास
–जीजा-साला परिहास
–नाना-नतनी परिहास
–नानी-नाती परिहास
–दादा-पोती परिहास
–दादी-पोता परिहास

संथाल जनजाति में परिहास सम्बन्ध भाभी-देवर, ननद-भाभी, जीजा-साली, जीजा-साला, दादा-पोती, नाना-नतनी, नानी-नाती, समधी-समधीन आदि रिश्तेदारों के बीच पाया जाता है।

मुण्डा जनजाति में भाभी-देवर, भाभी-ननद, जीजा-साली, जीजा-साला, पितामह-पौत्री सम्बन्धियों के बीच परिहास का सम्बन्ध होता है। खड़िया जनजाति में जीजा-साला, जीजा-साली, दादा-दादी एवं पोता-पोती के बीच परिहास सम्बन्ध देखा जाता है।

3. माध्यमिक सम्बोधन (Teknonymy) : माध्यमिक सम्बोधन शब्द के अन्तर्गत निकट के सम्बन्धियों को उसके नाम से पुकारना मना होता है। उन्हें पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। अनेक जनजातियों में माता-पिता को उनके नाम से नहीं बल्कि बच्चों के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस व्यवहार को सन्ताननामी व्यवहार अथवा (Teknonymy) कहा जाता है। भारत के कुछ जनजातियों में तथा अन्य अधिकांश समाजों में यह प्रथा प्रचलित है। मजूमदार एवं मदन के शब्दों में, "समस्त ग्रामीण भारत, कुछेक जनजातियाँ–जैसे खासी और संसार के अन्य भागों के आदिम समाजों में एक ऐसी प्रथा पायी जाती है जिसके अन्तर्गत पिता या माँ एक-दूसरे को नाम से नहीं बल्कि बेटे या बेटी के नाम के साथ जोड़कर (जैसे अमुक के पिता या अमुक की माँ) पुकारते हैं।" मुण्डा तथा उराँव जनजाति की महिलाएँ अपने पति को नाम से सम्बोधित नहीं करती हैं। अपने पति के लिए 'आदमी' शब्द का प्रयोग करती है।

Scanned with CamScanner